निविदा की शर्तें हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

विषय सूची –

खंड सं.	विवरण	पेज
खंड–I	तृतीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	2
खंड–II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी)	
	अ. महत्वपूर्ण तिथियॉ / सामान्य जानकारी	3–4
	ब. निविदा दस्तावेज	5–7
	स. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन	8
	द. अनुबंध का पुरूस्कार	9–10
	ई. अन्य नियम और शर्तें	11–12
	अनुलग्नक 1 से 7	13–19
खंड–III	भवन निर्माण, सेनेटरी, प्लम्बिंग एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु तृतीय ई–निविदा	20–24

खंड–I

<u>तृतीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना</u>

<u>मध्यप्रदेश शासन</u>

कार्यालय वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर मध्यप्रदेश

तृतीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/ई–टेंडरिंग/2025–26 दिनांक 15.09.2025 वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित – 2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	भवन निर्माण, सेनेटरी, प्लम्बिंग एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु तृतीय ई–टेण्डर	300000/–	1500/–

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 15.09.2025 को 11.00 AM से दिनांक 22.09.2025 को 06.00 PM तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियाँ लागू होगी।
- निविदा पूर्व बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।
- ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल।
  https://www.mptenders.gov.in

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

खंड–II

<u>निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)</u>

अ. महत्वपूर्ण तिथियॉ / सामान्य जानकारी –

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	भवन निर्माण, सेनेटरी, प्लम्बिंग एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु
2	ई निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	.... / 2025
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेजों की लागत	1500 / – प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	300000 / –
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	300000 / –
7	अनुमानित निविदा मूल्य	10000000 / –
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	–
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	22.09.2025 समय 06.00 PM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	24.09.2025 समय 04.00 PM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	25.08.2025 समय 05.00 PM
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://www.mptenders.gov.in पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर (निविदाकर्ता) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी.) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालॉकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. <u>प्रति निविदाकार एक निविदा</u> –

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 मे दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

Gaurav-Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे –

I) जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

II) पैन कार्ड

III) पिछले 3 वित्तीय वर्षो के आयकर रिटर्न

IV) 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्न–1

V) पूरा अनुलग्नक–2

VI) पूरा अनुलग्नक–3

VII) सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र

VIII) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण

IX) "एमएसएमई प्रमाण पत्र" यदि ईएमडी छूट मांग गई है

X) "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र" यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक–4 खंड (I) और (II))

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तो की सावधानीपूर्वक जॉच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहॉ लागू हो)

जहॉ भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है –

9.1 ई–निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि, और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जबाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई–निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकर निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जब्त की ज़ा सकती है –

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन–कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाऐं और विस्तृत नियम एवं शर्ते वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते है।

13. पूर्व योग्यता मापदंड अनुलग्नक–4 में दिए गए है। निविदाकारों को अपने पूर्व योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तदायी बना सकता है। पूर्व योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जी.एस.टी., अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक–1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व–घोषणा, काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजो के साथ रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जॉच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जॉच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर–अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
(गैर–भौतिक विचलन छोटी–मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती है, जैसे कि छोटी–मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे)
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24 ई–निविदा प्रक्रिया में 02 निविदाकारो की दरे एक समान पाये जाने की स्थिति में सामग्री उनकी सहमति या दोनो निविदाकारो को समान दरो को दोनों निविदाकारो की दरे स्वीकृत की जावेगी।
25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा – यदि कोई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(द) अनुबंध का पुरूस्कार

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाले फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग–अलग फर्मो से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मो को जारी किए जाएँगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक–5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में **सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर** के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित–2022) के अनुरूप की जाएगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्ते शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है –

I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति /वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक–7 में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किय जाएगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

33. निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध की पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

ई. अन्य नियम और शर्ते

35. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

36. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

37. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते है।

37.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

37.2 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

37.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

38. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता को पास होगा।

39. निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 60 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा। विलम्ब होने पर प्रति सप्ताह निविदा राशि के 2 प्रतिशत की दर से पेनल्टी लगाई जायेगी।

40. निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय करना होगा। विलम्ब होने पर बिना सूचना के ई निविदा निरस्त की जावेगी।

41. निविदा के खंड III में दर्शित मानक अनुसार सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकृत सामग्री प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर तत्काल मौके से हटाना होगी। ऐसा न करने की स्थिति में होने वाली नुकसानी के लिए निविदाकार स्वयं जबाबदार होगा।

42. सामग्री का सत्यापन कार्य प्रारंभ करने से पहले सहायक वनसंरक्षक/वनविस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापन में प्राप्त सामग्री अनुसार ही राशि का भुगतान फर्म के खाते में किया जावेगा।

43. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति की जबाबदारी स्वयं निविदाकार की होगी।

44. वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

45. निविदाकार द्वारा ई–निविदा प्रक्रिया में समस्त दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य किये जावेगे ऑफलाइन मोड में कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगे।

46. सी.ए. द्वारा प्रमाणित सर्टीफिकेट में यूडीआईएन नंबर होना अनिवार्य है एवं ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित किया जावेगा।

47 एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी तकनीकी निविदा में पात्रता होने पर वित्तीय निविदा हेतु मान्य की जाकर दरे स्वीकृत की जावेगी।

48. स्टार्टअप इंडिया में छूट भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियमानुसार मान्य की जावेगी।

49. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र सागर न्यायालय अन्तर्गत ही रहेगा।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

अनुलग्नक–1

प्रारूप – स्वघोषणा – काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

सेवा में,

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर
जिला सागर (म0प्र0)

महोदय/महोदया,

दिनांक ---------- के निविदा संदर्भ संख्या ------------------------ के प्रत्युत्तर में, ------------------------------ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म ------------------------------- का रिकार्ड वेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चितकाल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यो के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म ------------------------------------ निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जावेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद

निविदाकार का नाम –

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता –

संगठन की मुहर –

दिनांक –

स्थान –

अनुलग्नक–2

प्रारूप–निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम --
2. पिता का नाम --
3. स्थाई पता मकान क्रमांक --
   गली क्रमांक --
   स्थान --
   जिला ---------------------------- पिन कोड ----------------------
4. कार्यालय का पता
   गली क्रमांक --
   स्थान --
   जिला ---------------------------- पिन कोड ----------------------
5. सत्यांकार राशि (ईएमडी) का विवरण प्रकरण – एफडीआर/बैंक गारंटी/---------
   संख्या दिनांक --
   राशि --
   बैंक का नाम --
6. जी.एस.टी. नंबर --

निविदाकार के हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

मैं --

पिता/पति --

घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्तान जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मदार रहूँगा, मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तें, नियमों और आवश्यकताओ को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

प्रारूप–सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम -- जानता हूँ/जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा --------------------------- सामाजिक वानिकी वृत्त के अर्न्तगत आने वाला सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मै/हम ------------------------- सामाजिक वानिकी वृत्त सागर के अन्दर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारें में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–4

पूर्व योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए –

1) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

2) संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षो के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

अनुलग्नक–5
स्वीकृति पत्र

क्र./ दिनांक/

प्रति,

मेसर्स ——————————

——————————

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय : ——————————————————————

//0//

प्रिय श्री ——————————

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें की दी मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें –

(क) रूपये —————— (आंकड़ो में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये —————————— केवल शब्दो में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, —————————— के नाम पर प्रतिज्ञा।

(ख) अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक–6
संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तो और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मो के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी –

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।

ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएगें ताकि यह सभी भागीदरों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं की वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होगें, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएंगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में)।

ड़. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडो के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ताओ को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारो पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें –

क्र.	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलग्नक–7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक -------- को वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर जिला सागर (म.प्र.) और मेसर्स ----------------------(निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे निविदाकार कहा जाएगा के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर म.प्र. (अनुबंध का नाम भवन निर्माण, सेनेटरी, प्लम्बिंग एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु तृतीय ई निविदा और पहचान संख्या __________) (जिसे आगे कार्य कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है –

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है। दिनांक 31.03.2026 तक मान्य रहेगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर की न होने की स्थिति में वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी एवं सत्यंकार की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को दो वर्षो के लिए कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
5. निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय न होने पर या सही नहीं पाये जाने पर तो प्रदायकर्ता को स्वयं के व्यय पर एक सप्ताह के भीतर अस्वीकृत सामग्री का मौका/स्थल से वापस उठाना होगा।
6. प्रदाय की जाने वाली मात्रा अनुमानित है, इसमें घट–बढ़ हो सकती है, जिसके लिये निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी। भुगतान सामग्री की वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जावेगा।
7. सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर वन विस्तार इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना/टीकमगढ़ में उनके द्वारा अधिकृत शासकीय सेवको को कार्यस्थल/गंतव्य स्थल वृत्त के अंतर्गत स्थित रोपणियां है जिसकी सूची निविदा फार्म में संलग्न है पर प्रदाय करना होगी।

8. प्रदाय आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह से अधिक अथवा असाधारण विलम्ब होने पर आवश्यक सामग्री का क्रय तत्समय प्रचलित बाजार दर पर अन्य प्रदायकर्ता से क्रय कर लिया जावेगा तथा ऐसे में होंने वाले अधिक व्यय की वसूली निविदाकार से की जावेगी।
9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 17 की धारा 51 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. के रूप में काटी जावेगी।
10. सामग्री की गुणवत्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय मानक व्यूरो (ISI) के निर्धारित मापदण्डो के अनुसार होना चाहिये।
11. किसी भी परिस्थिति में कार्य अन्य व्यक्ति को सबलेट करना/प्रदान करना मान्य नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निविदा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
12. साम्रगी का भौतिक सत्यापन सहायक वनसंरक्षक/वनविस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापन मात्रा अनुसार भुगतान ई पेमेट के माध्यम से किया जावेगा। अतः संबधित फर्म का खाता कमांक फर्म के साथ संलग्न किया जाये भुगतान संबधित फर्म के खाते में ही किया जावेगा। निविदाकार फर्म का ही खाता मान्य किया जावेगा।
13. प्रथम निविदा कार की निविदा स्वीकृत होने के उपरांत यदि निविदा कार के द्वारा सामग्री प्रदाय करने पर अनावश्यक विलंब किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर के निविदाकार को सामग्री प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा जिसके लिये अद्योहस्ताक्षरकर्ता स्वतंत्र रहेंगे।
14. सामग्री प्रदायकर्ता को शासन के द्वारा वर्तमान में प्रचलित समस्त कर प्रदाय प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. सामग्री प्रदाय हेतु अन्य विभागों की फीस, शुल्क प्रदायकर्ता द्वारा दी जावेगी, इस कार्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
16. प्रदाय की गई सामग्री की पैकिग/रखरखाव इस प्रकार का होना चाहिये कि सामग्री सुरक्षित तौर पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुॅच जाये।
17. निविदाकार को स्पष्ट रूप से पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., टेलीफोन नंबर आदि की जानकारी निविदा पत्र में अंकित होना अनिवार्य है। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो तत्काल ई–मेल द्वारा सूचित करना होगा।
18. सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाले संभावित नुकसान के लिये बीमा की जबाबदारी निविदाकार की होगी।
19. सामग्री जैसे मिट्टी एवं अन्य साम्रगी में रायल्टी का भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा एवं रायल्टी की रसीद उपलब्ध कराना होगी।
20. मिट्टी पर नियमानुसार void घटाकर मात्रा का आंकलन कर भुगतान किया जायेगा।
21. निविदाकार को सूचित हो कि किसी ऐसी दशा में निविदा से संबंधित किसी नियम के संबंध में कोई अस्पष्टता या भ्रम हो तो ऐसी स्थिति में चाहे निविदा में उस संबंध में कोई संदर्भ मौजूद हो या ना हो उसकी स्वाभाविक व्याख्या इस प्रकार से होगी की उसका लाभ विभाग को मिले।
22. विवाद (आर्बीटेशन) की स्थिति उत्पन्न होने पर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
23. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

24. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के पास सुरक्षित होगा।

25. सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार वनविस्तार अधिकारियों की मांग पत्र अनुसार दिये जायेंगे जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा।

26. सामग्री प्राप्ति की पावती देने हेतु संबंधित वनविस्तार अधिकारी/रोपणी प्रभारी ही सक्षम होगें।

27. प्रदाय आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सामग्री मौके पर पहुँचाना होगा। विलम्ब होने पर आवश्यक सामग्री का क्रय तत्समय प्रचलित बाजार दर पर अन्य प्रदायकर्ता से क्रय कर लिया जावेगा तथा अधिक व्यय की राशि की निविदाकर्ता से वसूल की जायेगी विलंब से प्रदाय सामग्री पर प्रति सप्ताह 2% की दर से पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगी। किसी भी परिस्थिति में कार्य अन्य व्यक्ति को सबलेट करना/प्रदान करना मान्य नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निविदा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।यदि निर्धारित गंतव्य स्थल सामग्री नहीं पहुँचायी जाती तो परिवहन व्यय निविदाकर्ता से वसूल किया जायेगा।

28. सामग्री का भुगतान सत्यापन एवं बिल में दर्ज सामग्री की पावती के उपरांत किया जायेगा।

29. निविदा की अवधि के दौरान यदि किसी कारणवश सामग्री के बाजार मूल्य में कोई अप्रत्याशित वृद्धि होती है तब भी निविदाकर्ता को निविदा में लेख की गई दर पर ही सामग्री प्रदाय करना होगी।

30. प्रदाय की गई सामग्री .का जी.एस.टी. रिर्टन में दर्शाना अनिवार्य है एवं मांगने पर जी.एस.टी. रिर्टन की कॉपी प्रस्तुत करना पड़ेगी।

31. सामग्री पर लगने वाले समस्त करों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा।

32. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा होने वाली क्षति की राशि निविदाकर्ता से वसूल कर निविदाकर्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात

i) स्वीकृति पत्र

ii) निविदाकारों को निर्देश

iii) अनुलग्नक 1 से 3

iv) बिल की मात्रा (बी.ओ.क्यू.)

v) निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर ——————————————इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त —————————— द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त—————————— की उपस्थिति में

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर (म.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

खंड–III

प्रदाय की जाने वाली सामग्री का स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता के मानक

सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत इकाई की रोपणियों में उपयोग होने वाली भवन निर्माण, सेनेटरी, प्लम्बिंग एवं अन्य सामग्री क्रय बावत तृतीय ई–निविदा।

निष्पादन सुरक्षा राशि रू. – 300000

क्र.	सामग्री का विवरण	स्पेसीफिकेशन
	भवन निर्माण सामग्री	
1	लोहा सरिया 6, 8, 10 12 एम.एम.	**लोहा सरिया 6, 8, 10, 12 एम.एम.** – आई.एस.आई. मार्क होना चाहिए। मानक इकाई प्रति कि.ग्रा. होना चाहिए।
2	एम.एस. पाईप 1"x1", 1½"x1½" 2"x2" एवं 3"x3"	एम.एस. पाईप मानक गुणवत्ता की तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है। माप कि.ग्रा. में होना चाहिए।
3	सीमेन्ट	**सीमेन्ट** – सीमेंट 53 ग्रेड एवं आईएसआई मार्क का होना चाहिए। प्रति बोरी वजन 50 कि.ग्रा. की होना चाहिए। सामग्री मानक गुणवत्ता की तथा ब्रांडेड कंपनी की होना अनिवार्य है।
4	बालू रेत (निर्माण हेतु)	**रेत (निर्माण कार्य हेतु)** – बड़ी नदियों की शुद्ध बालू रेत होनी चाहिए। रेत में मिट्टी की मात्रा एवं बजरी बिलकुल नहीं होना चाहिए। नर्मदा नदी की रेत को प्राथमिकता दी जायेगी।
5	गिट्टी (40 एम.एम.)	**गिट्टी 06, 20, 40 एम.एम.** – गिट्टी का स्रोत आग्नेय चट्टान से होना चाहिए।
6	गिट्टी (20 एम.एम.)	
7	गिट्टी (6 एम.एम.)	
8	ईट (भट्टा वाली)	**ईट (भट्टे वाली)** – ईट का आकार 8"x4"x4" होना अनिवार्य है। जिसकी जल शोषण क्षमता 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
9	जी.आई. प्रोफाइल शीट	शीट की मोटाई 0.5 एम.एम. होनी चाहिए, प्रति वर्ग मीटर वजन 3.60 कि.ग्रा. से 3.90 कि.ग्रा. तक होना चाहिए। प्रोफाइल शीट पर जिंक का कोट होना अनिवार्य है। प्रोफाइल शीट में जंग लगने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
10	बिट्रीफाईड डबल चार्जड् टाईल्स 1'x1', 2'x2', 4'x2'	जल अवशोषण क्षमता 0.05 प्रतिशत से कम होना चाहिए। आई. एस. 15622 के मानक अनुरूप होना चाहिए। सामग्री ब्रांडेड कंपनी की होना चाहिए। सामग्री में टुट–फूट स्वीकार्य नहीं होगी।
11	पुट्टी	रंग में पूर्ण सफेदी होना आवश्यक है। अधिक पुरानी एवं किसी प्रकार की अशुद्ध सामग्री स्वीकार्य नहीं की जावेगी। ब्रांडेड कंपनी की सामग्री होना अनिवार्य है। मानक प्रति कि.ग्रा. में होना चाहिए।
12	आईल पेन्ट	मानक गुणवत्ता का तथा ब्रांडेड कंपनी की होना अनिवार्य है।
13	प्रायमर	मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
14	डिस्टेम्पर	मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
15	चूना	कटनी का मलाई चूना मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
16	दरवाजा (लोहे का)	दरवाजा का आकार 7X3 फीट होना चाहिए। दरवाजा 1¼ इंच एंगिल आयरन फ्रेम में कसी हुई 20 गेज की लोहे के चद्दर की बनी होना चाहिए। दरवाजा में 1 इंच मोटाई की पत्ती का क्रास सपोर्ट होना चाहिए। दरवाजा लोहे की चौखट सहित होना चाहिए। चौखट 40x5 mm साईज के एंगिल आयरन का बना होना चाहिए।
17	दरवाजा (प्लायबुड)	दरवाजा का आकार 6½x3 फीट एवं 35 mm मोटा होना चाहिए। दरवाजा प्लाईवुड का बना हुआ तथा वॉटरप्रूफ होना चाहिए। दरवाजा उच्च गुणवत्ता के मटेरियल का बना होना चाहिए। दरवाजा दोनों ओर से माईका से लेमिनेटेड होना चाहिए।
18	लकड़ी की चौखट 7'x3.5'	चौखट 7X3.5 फीट लंबाई x चौड़ाई एवं 5X2.5 इंच, 4X2.5 इंच मोटाई की होना चाहिए। चौखट/शीशम/बबूल/सरईप्रजाति की हार्टवुड की बनी होना चाहिए। लकड़ी में टेड़ापन एवं अधिक गठानें नहीं होना चाहिए।

19	खिड़की एल्यूमिनियम (3 ट्रेक्स स्लाइडर)	खिड़की में प्रयुक्त एलुमिनियम शीट की मोटाई 20 गेज एवं ग्लॉस की मोटाई 3-5 mm होना चाहिए।
20	बाथरूम दरवाजा एल्युमिनियम 18 गेज (2 mm) वर्ग फिट	मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है। माप वर्ग फुट में होना चाहिए।
21	कांक्रीट पेवर ब्लॉक – डंबल 8 से.मी. मोटा	कांकीट पेवर ब्लॉक डंबल (साईज 200x165x80 mm) आकार में होना चाहिए। सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
22	कांक्रीट पेवर ब्लॉक – ट्राईहेक्स ब्रॉड 8 से.मी. मोटा	कांकीट पेवर ब्लॉक ट्राईहेक्स ब्रॉड (साईज 200x186.6x80 mm) आकार में होना चाहिए। सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
23	इमलशन पेन्ट इंटीरियर	पेन्ट में व्ही.ओ.सी. की मात्रा 50 ग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। पेन्ट इमल्शन में किसी प्रकार की मिलावट स्वीकार्य नहीं की जावेगी। सामग्री ब्रांडेड कंपनी की होना चाहिए। कंपनी का नाम दर्शाये।
24	इमलशन पेन्ट एक्सटीरियर	पेन्ट में व्ही.ओ.सी. की मात्रा 50 ग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। पेन्ट इमल्शन में किसी प्रकार की मिलावट स्वीकार्य नहीं की जावेगी। सामग्री ब्रांडेड कंपनी की होना चाहिए। कंपनी का नाम दर्शाये।
25	टेक्सचर पेन्ट	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
26	डेम्पप्रूफ पेन्ट	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
27	तारपीन तेल	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
28	दरवाजा हेंडल 6" (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
29	सनमाइका शीट	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
30	सेन्ड पेपर 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
31	पेन्ट हेतु ब्रश 40 mm, 75 mm, 120 mm, 150 mm	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
32	चटकनी 6"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
33	दरवाजा एल ड्राप स्टील 10"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
34	कब्जा 4" (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
35	ग्रेनाइट	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
36	कडप्पा पत्थर	स्टोन की मोटाई एक समान होना चाहिए। रंग हल्का काला एवं स्लेटी कलर तथा सतह एक समान एवं पत्थर की मजबूती मानक स्तर की होना अनिवार्य।
37	धौलपुर पत्थर	स्टोन की मोटाई एक समान होना चाहिए। रंग हल्का लाल तथा सतह एक समान होना चाहिए। पत्थर की मजबूती मानक स्तर की होनी चाहिए।
38	बांइडिंग वायर (कि.ग्रा.)	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
39	गेरू (कि.ग्रा.)	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
40	फेवीकाल (कि.ग्रा.)	सामग्री मानक गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
41	प्लाइवुड शीट 18 एम.एम. (वर्ग फिट में)	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
42	सेन्ड पेपर 80 नंबर	सामग्री मानक गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
43	सेन्ड पेपर 100 नंबर	सामग्री मानक गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
44	सेन्ड पेपर 120 नंबर	सामग्री मानक गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
	सेनेटरी एवं प्लम्बिंग सामग्री (Sanitary and Plumbing Items)	
1	Western Commode 1 piece rectangular shape floor mounted	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
2	Indian Sheet 590x450x300 mm white colour	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
3	Wash Basin 18"x12"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
4	Wash Basin 24"x18"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
5	Wash Basin Pedestal 45 cm one piece	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
6	Table Top 18"x24"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
7	Kitchen Sink 24"x18"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
8	Sink cock (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
9	Angle cock (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
10	Pillar cock (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
11	Flush cock (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
12	Tee (1") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
13	Tee (1/2") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।

14	Elbow(1") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
15	Elbow(1/2") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
16	Socket(1/2") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
17	Socket(1") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
18	MTA Brass L (1/2")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
19	MTA Brass T (1/2")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
20	MTA Brass Socket (1")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
21	MTA Brass Socket (1/2")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
22	MTA Brass L (1")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
23	MTA Brass T (1")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
24	Waste Pipe	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
25	Fastener (MS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
26	End Cap (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
27	Plug (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
28	Tank Connector (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
29	Union (1/2") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
30	Union (1") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
31	SS Flange	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
32	Pipe (PVC) 1/2" Length 20 ft	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
33	Pipe (PVC) 1/2" Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
34	Pipe (PVC) 1" Length 20 ft	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
35	Pipe (PVC) 1" Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
36	Pipe (PVC) 1" T	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
37	Pipe (PVC) 1" L	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
38	Pipe (PVC) 2" Length 20 ft	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
39	Pipe (PVC) 2" Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
40	Pipe (PVC) 2" T	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
41	Pipe (PVC) 2" L	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
42	Pipe (PVC) 3" Length 20 ft	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
43	Pipe (PVC) 3" Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
44	Pipe(PVC) 3" T	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
45	Pipe (PVC) 3" L	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
46	Pipe (PVC) 4" Length 20 ft	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
47	Pipe (PVC) 4" Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
48	Pipe (PVC) 4" T	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
49	Pipe (PVC) 4" L	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
50	Clamp Brass	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
51	Solvent 100 ml	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
52	Valve (1/2") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
53	Valve (1") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
54	Steel Kheela 1.5"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
55	Steel Kheela 2.5"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
56	Steel Kheela 3"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
57	Steel Kheela 4"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
58	Steel Kheela 6"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
59	Taflon Tape	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
60	Reducer (1" to 0.5") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
61	Tee (1½") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
62	Brass Reducer (1" to 0.5")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
63	Steel ki Jaali 4"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
64	Steel ki Jaali 5"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
65	Hand Flush (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।

66	Tap (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
67	Shower 6" (SS)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
68	Murga Set for toilet sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
	इलेक्ट्रिक सामग्री (Electric Items)	
1	Ceiling Fan	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
2	J Box (3way) (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
3	J Box (4way) (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
4	Switch PPI (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
5	Power Switch	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
6	5 Pin Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
7	Fan Regulator	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
8	Module Box (4way)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
9	Module Box (8way)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
10	Module Box (6way)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
11	Module Box (12way)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
12	Fan Sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
13	Power Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
14	MCB Complete Set (4 way)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
15	Angle Holder	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
16	Exhaust Fan 12"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
17	Plaste PPI Indicator	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
18	Round Sheet (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
19	LED Light 5w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
20	LED Light 9w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
21	LED Light 12w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
22	LED Light 15w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
23	LED Emergency Bulb 12 w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
24	Elbow(1½") (PVC)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
25	Street Light 100 w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
26	Tube Light 18 w	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
27	Geyser 3 ltr instant type	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
28	Pipe 1" (mtr)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
29	Holder	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
30	Gulli (paket)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
31	PVC Patti	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
32	12 way Sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
33	4 way Sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
34	8 way Sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
35	6 way Sheet	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
36	16 Amp Socket	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
37	Elbow 1"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
38	Tee 1"	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
39	Celling Light 5 Watt	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
40	Celling Light 7 Watt	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
41	Celling Light 9 Watt	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
42	Fan Box	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
43	Deep Junction Box	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
44	L Bend	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
45	Holder Plate	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
46	Screw/Pench 1" Box	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
47	Screw/Pench 1.5" Box	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
48	Screw/Pench 2" Box	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।

49	Copper wire 1.5 mm	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
50	Copper wire 2.5 mm	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
51	Copper wire 4 mm	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
52	Copper wire 7 mm	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
53	10 एम.एम.एल्युमिनियम वायर	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
54	20 एम.एम.एल्युमिनियम वायर	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
55	3 कोर इलेक्ट्रिकल केवल	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
56	एच.ई.पी.ई. पानी टंकी 3 लेयर 500 ली.	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
57	एच.ई.पी.ई. पानी टंकी 3 लेयर 1000 ली.	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
58	एच.ई.पी.ई. पानी टंकी 3 लेयर 5000 ली.	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
	अन्य सामग्री	
1	कार्टन राड 20 फीट (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
2	कार्टन लट्टू (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
3	कर्टन फिटिंग (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
4	कर्टन कम्प्लीट (स्टील)	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
5	कुर्सी फाईवर	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
6	टेविल प्लाईवुड टाप आयरन फ्रेम (2.5"X4")	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
7	रिचार्जेविल इमरजेसी एल.ई.डी. टार्च 12 वाट	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
8	इलेक्ट्रिक कांटा 100 कि.ग्रा.	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।
9	300 एम.एम. लंबाई 8 फीट आर.सी.सी. पाईप	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
10	450 एम.एम. लंबाई 8 फीट आर.सी.सी. पाईप	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
11	600 एम.एम. लंबाई 8 फीट आर.सी.सी. पाईप	सामग्री मानक गुणवत्ता की होना अनिवार्य है।
12	सेल्युशन बॉड	सामग्री मानक गुणवत्ता तथा ब्रांडेड कंपनी का होना अनिवार्य है।

Gaurav-Jain

वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

//सा.वा. वृत्त सागर की इकाई अन्तर्गत आने वाली रोपणियों के नाम

जहाँ सामग्री प्रदाय की जाना है//

क्र.	जिले का नाम	वनविस्तार इकाई का नाम	रोपणी का नाम
1	सागर	इकाई दक्षिण सागर	पथरिया
2			सिरौजा
3			चौरई
4		इकाई उत्तर सागर	चकरा
5			अण्डेला
6			बहरोल
7			अमरमऊ
8			पगारा
9	दमोह	इकाई दमोह	नोहटा
10			सांगा
11			हथनी
12			गोहदर
13	छतरपुर	इकाई छतरपुर	पाण्डाझिर
14			गंज
15			देवरा
16	पन्ना	इकाई पन्ना	संजय
17			विश्रामगंज
18			आमा
19			अमानगंज
20	टीकमगढ़	इकाई टीकमगढ़	कुण्डेश्वर
21			पिपरौट